

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या -136/2019 (Bank Case)

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय- वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर.पी.एम. रोड, फार्ट, मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय-302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।

- प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. प्रदीप कुमार शर्मा (ऋणी / बंधककर्ता)
पता- प्लॉट नं० 42, गणेश पुरी धाम, ग्राम कोटडी, तहसील लाडपुरा, कोटा, राजस्थान-324001
दुसरा पता-निवासी- मकान नं० 17, गली नं० 6, कृष्णा नगर, बजरंग नगर, कोटा, राजस्थान-324001
कार्यालय पता- 49, नई अनाज मण्डी, कोटा, राजस्थान-324007
श्वेता शर्मा (सहऋणी)
पता- मकान नं० 17, गली नं० 6, कृष्णा नगर, बजरंग नगर, कोटा, राजस्थान-324001
3. विवेक गौतम (जमानती)
पता- मकान नं० 4-डी-19, दादाबाडी सेक्टर-4, ब्लॉक डी, कोटा, राजस्थान-324009
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 03.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय- वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर.पी.एम. रोड, फार्ट, मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय-302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 28.03.2014 एवं 26.04.2016 को 19,94,874/- (अक्षरे:उन्नीस लाख चौरानवें हजार आठ सौ चौहत्तर रूपये मात्र) (ऋण खाता संख्या-00001164) एवं 9,19,051/- (अक्षरे नौ लाख उन्नीस हजार इक्यावन रूपये मात्र) (ऋण खाता संख्या-00002095) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिन्डोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

आवासीय प्लॉट नं० 42, गणेश पुरी धाम, ग्राम कोटडी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान-324001 में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1037.5 वर्ग फुट हैं, जो विक्रय पत्र दिनांक 28.9.2013 से अप्रार्थी नं० 1 के नाम है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.02.2019 व 01.01.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 19,94,874/- (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख चौरानवें हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र) (ऋण खाता संख्या-00001164) बकाया रकम दिनांक 14.02.2019 तक तथा 9,19,051/- (अक्षरे नौ लाख उन्नीस हजार, इक्यावन रूपये मात्र) (ऋण खाता संख्या-00002095) बकाया रकम दिनांक 22.01.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.02.2019 व दिनांक 25.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक से दो नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 22.07.2019 व दिनांक 24.07.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्णभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 18.02.2019 व दिनांक 25.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक से दो नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 22.07.2019 व दिनांक 24.07.2019 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।


हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 18.02.2019 व दिनांक 25.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक से दो नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 22.07.2019 व दिनांक 24.07.2019 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं० 42, गणेश पुरी धाम, ग्राम कोटडी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान-324001 में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1037.5 वर्ग फुट हैं, जो विक्रय पत्र दिनांक 28.9.2013 से अप्रार्थी नं० 1 के नाम है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 03.12.2019 को सुनाया गया ।




(आम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा